न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 72/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. महेन्द्र कुमार पिता श्री कन्हैयालाल टाया, निवासी 50, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
2. अजय पिता श्री सुन्दरलाल दक, निवासी ई. 11–12, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुश्री संस्कृति पुत्री ओमप्रकाश आमेटा (ब्राहमण), नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती भावना पत्नी श्री ओमप्रकाश आमेटा (ब्राहमण), निवासी फाचर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. धवल पुत्र ओमप्रकाश आमेटा (ब्राहमण), नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती भावना पत्नी श्री ओमप्रकाश आमेटा (ब्राहमण), निवासी फाचर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय श्री दुर्गाशंकर आमेटा (ब्राहमण), निवासी फाचर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 04–06–2013 प्र.सं. 105/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री मनीष मोगरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1, 2
4. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 3
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 4

———::———

निर्णय **दिनांक 24–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फाचर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित

परिशिष्ट ''क'' की कुल किता 3 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/27 हिस्सा तथा परिशिष्ट ''ख'' की कुल किता 12 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर ओमप्रकाष की पत्नी भावना तथा पुत्र धवन व पुत्री संस्कृति है, जो वादीगण हैं। भूमियां मौरूसी होकर संयुक्त परिवार की होने से वादीगण का भी उक्त भूमियों में हिस्सा निहित है। वादीगण नाबालिग होकर माता भावना की संरक्षता में हैं। उक्त भूमियों में वादीगण का जन्म से हक अधिकार है तथा वादीगण की ओर से माता भावना काश्त कर रही है। प्रदर्श ''क'' की भूमियों में वादीगण का 1/81 हिस्सा तथा प्रदर्श ''ख'' की भूमियों में वादीगण का 1/9 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता होकर उनकी माता से नाराज रहते हैं तथा भूमियां विक्रय करने पर आमादा हैं। अतएवं वादग्रस्त भूमियों का वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–06–2013 को वादीगण का घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–06–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित कृषि भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18–01–2012 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 उदयपुर के प्रकरण संख्या 220/2014 की

प्रोसीडिंग्स की नकल प्रस्तुत की, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा सिविल न्यायालय में विवादित भूमियों के विक्रय पत्र के निरस्तीकरण बाबत् वाद लम्बित होना प्रकट आया तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी होना बताया, परन्तु आदेशिकाओं से यह प्रकट नहीं होता। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमियों का क्रय दिनांक 18–01–2012 को ही किया जा चुका है, जबकि वाद दिनांक 20–03–2013 को प्रस्तुत हुआ है। अर्थात वाद दायरी के पूर्व ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा भूमियों का विक्रय अपीलान्टगण को किया जा चुका है, परन्तु उन्हें वाद में पक्षकार संस्थित नहीं किया गया है, जबकि भूमियों में कम से कम रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के हक हिस्से तक तो अपीलान्ट का स्वत्व प्रथम दृष्टया रहता है। प्रकरण में अपीलान्टगण सद्भावी क्रेता को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है, जबकि वे आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार प्रथम दृष्टता प्रतीत होते हैं। प्रकरण में हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–05–2013 को 06–06–2013 की तारीख तय की गयी। प्रकरण में दिनांक 30–06–2013 को बहस सुनी जाकर दिनांक 04–06–2013 को निर्णय कर दिया गया। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट सद्भावी क्रेता होकर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार हैं तथा उन्हें सुने बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–06–2013 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को भी प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–11–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

लालसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, नि0 तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी भूरसिंह राजपूत, निवासी साकरोदा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**107 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**05**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**.....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री डालचन्द पोखरना**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा**.....
श्री लोकश गहलोत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा काउण्टर अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।